भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 444

उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2026

बुधवार, 31 आषाढ़, 1948 (शक)

बिहार में कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान

444#. डा. धर्मशीला गुप्ता:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा उन्हें प्रदान की जा रही सरकारी सहायता की निगरानी हेतु कोई व्यवस्था विकसित की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में उक्त व्यवस्था के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितने प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया गया है; और

(ग) बिहार में अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी अथवा निर्धारित मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर अब तक कितनी प्रशिक्षण संस्थाओं अथवा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत देशभर में बिहार सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनःकौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं

को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार करना और उद्योग-संगत कौशल से सुसज्जित करना है।

सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए निम्नलिखित तंत्र विकसित किया है:

पीएमकेवीवाई: पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नामांकित अभ्यर्थियों को पीएमकेवीवाई के दिशानिर्देशों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्रों और वहां अभ्यर्थियों के कौशल विकास की प्रगति की समवर्ती निगरानी की जाती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं: **(i)** पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों का नामांकन आधार-आधारित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना के अंतर्गत फर्जी नामांकन न हो। **(ii)** आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से अभ्यर्थियों की दैनिक उपस्थिति की निगरानी की जाती है। प्रशिक्षण केंद्रों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे प्रशिक्षण अवधि के दौरान उपस्थिति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों और प्रशिक्षकों के टैबलेट/मोबाइल फोन में एईबीएएस अनुप्रयोग स्थापित करें। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को किए जाने वाले भुगतान को उपस्थिति से जोड़ दिया गया है। हाल ही में बायोमेट्रिक प्रणाली के स्थान पर चेहरे की पहचान आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की गई है। **(iii)** कॉल सत्यापन और केन्द्रों के औचक निरीक्षण के माध्यम से अभ्यर्थियों के कौशलीकरण संबंधी जीवन चक्र प्रगति की समवर्ती निगरानी की जाती है। **(iv)** प्रशिक्षण केंद्रों को विर्चुवल सत्यापन परिणाम-आधारित भुगतान किया जाता है । प्रशिक्षण केंद्रों के समक्ष आने वाली जमीनी समस्याओं के आधार पर समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव दिए जाते हैं, ताकि अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके। निगरानी समिति द्वारा उचित जांच-पड़ताल के पश्चात पाई गई विसंगतियों/भ्रष्टाचार के आधार पर गैर-अनुपालन करने वाली संस्थाओं पर दंड लगाने के लिए दंड मैट्रिक्स तैयार किया गया है। गंभीर गैर-अनुपालन या रिश्वत देने, निरीक्षक/मूल्यांकनकर्ता को धमकाने जैसी किसी अनैतिक गतिविधि के मामलों में प्रशिक्षण केंद्र को छह महीने की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है अथवा कौशल विकास परितंत्र से काली सूची में डाला जा सकता है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में 356 प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 125 प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी): प्रशिक्षण महानिदेशालय आईटीआई के संबद्धता मानकों और मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा करता है, ताकि उनकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत पाठ्यचर्या को भी उद्योग भागीदारों के परामर्श से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है, ताकि नवीनतम तकनीकी प्रगति और बदलती कौशल आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके तथा यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षण बाजार की मांग के अनुरूप बना रहे। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारें केंद्र सरकार के समन्वय से आईटीआई का समय-समय पर संयुक्त निरीक्षण करती हैं। इससे आईटीआई में अवसंरचना, संकाय की योग्यताओं, पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी मानक अद्यतन बने रहते हैं। राज्य कौशल विकास और उद्यमशीलता समिति (एसएसडीईसी) को संबद्धता मानदंडों और निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाले आईटीआई के विरुद्ध संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ करने तथा आईटीआई की संबद्धता समाप्त करने के लिए डीजीटी, एमएसडीई को सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।

पिछले तीन वर्षों (2023-2025) के दौरान, बिहार राज्य कौशल विकास और उद्यमशीलता समिति (एसएसडीईसी) ने निर्धारित संबद्धता मानदंडों और मानकों का अनुपालन न किए जाने के कारण 24 आईटीआई की संबद्धता समाप्त करने की सिफारिश की है।

एनएपीएस: राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल के माध्यम से तथा प्रशिक्षुता संबंधी अभिलेखों और दावों की जांच और, जहां आवश्यक हो, प्रतिष्ठानों के निरीक्षण/दौरे के माध्यम से निगरानी की जाती है, ताकि प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबंधों और योजना संबंधी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। एनएपीएस-2 के अंतर्गत निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या संबंधी जानकारी का केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, शिक्षु अधिनियम, 1961 और एनएपीएस-2 दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार संबंधित कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है। एनएपीएस के अंतर्गत योजना की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) और योजना निगरानी एवं समीक्षा समिति (एसएमआरसी) का गठन किया गया है। इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन समीक्षा समितियों (एसआईआरसी) का गठन किया गया है।

जेएसएस: निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से सभी जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) के कार्यकलापों को कौशल भारत डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है। यह पोर्टल आधार-आधारित ई-केवाईसी नामांकन, चेहरे की पहचान के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति, प्रशिक्षण प्रदान

करना, मूल्यांकन, प्रमाणन और निगरानी सहित योजना संबंधी गतिविधियों के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रबंधन को सुगम बनाता है। इसके अतिरिक्त, जेएसएस की प्रभावी निगरानी के लिए बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। इसमें जन शिक्षण संस्थान निदेशालय (डीजेएसएस), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता के निदेशालयों (आरडीएसडीई) और जिला कौशल समितियों द्वारा नियमित भौतिक और विर्चुअल निरीक्षण शामिल हैं। राज्य स्तर पर जेएसएस की निगरानी और पर्यवेक्षण आरडीएसडीई द्वारा किया जाता है। आरडीएसडीई के अधिकारी प्रभावी निगरानी के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेएसएस का समय-समय पर दौरा और निरीक्षण करते हैं। प्रत्येक जेएसएस में 16 सदस्यीय समिति, जिसे प्रबंध बोर्ड (बीओएम) कहा जाता है, का गठन किया गया है, जो जेएसएस द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करती है।
